



W

मिरान

K Mitta

क्षत्रय पारपत्र कार्यालय

·智布/Superintendent

Kigional Passport Office

चण्डोगढ़ Chandigarn

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से OF THE REPUBLIC OF INDIA BY ORDER OF THE PRESIDENT 4 motor

और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, है कि वे धारक को बिना किसी रोक-संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे और उसे हर तरह की ऐसी सहायता OF INDIA ALL THOSE WHOM IT THESE ARE TO REQUEST AND EVERY ASSISTANCE AND WITHOUT LET OR HINDRANCE BEARER TO PASS FREELY PRESIDENT OF THE REPUBLIC REQUIRE IN THE NAME OF THE AND TO AFFORD HIM OR HER, MAY CONCERN TO ALLOW THE SHE MAY STAND IN NEED. PROTECTION OF WHICH HE OR

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

चैदावनी वह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती हैं जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल हैं तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए। पंजीकरण विदेशों में खने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटनम भारतीय मिशन/ केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं। THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY RECARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY. यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्बे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए। LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS AEROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED. पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी मुखना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम धारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही हुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा। THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER. OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY. INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST. REGISTRATION CAUTION पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian RAKESH GUPTA माता का नाम / Name of Mother ABHA GUPTA पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse पता / Address HOUSE NO-1035, SECTOR-4, PANCHKULA-134109 HARYANA पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue ::... F3830444 21/06/2005 CHANDIGARH फाईल नं./ File No. CHDF01696210 - OLD PPT CANCELLED AND RETURNED